न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 99/2013 G.C.M.S. No. 2013/00091 दर्ज दिनांक : 31.12.2013

अपीलार्थिगण:

1. अमराराम पुत्र घीसाजी, उम्र 40 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी बेरा बाकरेचा, तहसील जैतारण, जिला पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. रामाराम पुत्र रूघाजी, जाति कुम्हार निवासी अटपडा रोड मोड हर्श, बेरा चारणा बिलाडा, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
2. भचना पुत्र रूघाजी, जाति कुम्हार निवासी मोहराकला, तहसील रायपुर जिला पाली
3. घेवर पुत्र घीसाजी जाति कुम्हार निवासी बेरा बाकरेचा, तहसील जैतारण जिला पाली
4. ढगलाई पुत्री घीसाजी, पत्नि मांगुजी जाति कुम्हार, निवासी निम्बेडाकला, तहसील रायपुर जिला पाली
5. नारायणीदेवी पुत्री घीसाजी, पत्नि नामालुम जाति कुम्हार निवासी बेरा बन्दडी मोहराई तहसील जैतारण जिला पाली
6. गजराई पुत्री घीसाजी पत्नि तुलछाजी, जाति कुम्हार निवासी बेरा कतरिया निमाज, तहसील जैतारण जिला पाली
7. ओगडराम पुत्र गुमनाजी
8. रूपा पुत्र गुमनाजी
9. पृथ्वी पुत्र गुमनाजी
10. प्रताप पुत्र गुमनाजी
11. इन्द्रा पुत्री गुमनाजी जातिगण कुम्हार निवासीगण बेरा सांखला बावड़ी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली
12. मोती पुत्र कानाजी जाति कुम्हार निवासी बाकरेचा निमाज तहसील जैतारण जिला पाली
13. सायरी पुत्री रूघाजी जाति कुम्हार निवासी निमाज
14. दाखु पुत्री रूघाजी जाति कुम्हार निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला पाली
16. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर पाली
17. उपपंजीयन अधिकारी, रायपुर जिला पाली
18. पटवारी हल्का बिराटियां कलां, तहसील रायपुर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2013 बअनवान रामाराम वगैरह बनाम अमरा वगैरह में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर के राजस्व वाद संख्या 80/2013 में पारित किया, को निरस्त कराने बाबत् एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिनेश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 24.10.2024

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रायपुर के राजस्व

Scanned with OKEN Scanner

वाद संख्या 80/2013 बअनवान रामाराम वगैरह बनाम अमरा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मौजा ग्राम बिराटियाकलां, पटवार हल्का बिराटियाकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक रायपुर में खाता संख्या नया/पुराना/77/81 खसरा नंबर 445 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की खातेदारी भूमि के संबंध में प्रस्तुत कर वास्ते घोषणा, नामांतरण संख्या 568 रदद् करने, स्थायी निषेधाज्ञा एवं कब्जा प्राप्ति हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री जारी की गई हैं। जोकि सर्वथा विधिविरूद्ध है। प्रकरण में उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। जो वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण के दादा व नाना रूघा पुत्र खीयाजी जाति कुम्हार साकिन निमाज के नाम की भूमि है। उक्त पुश्तैनी भूमि में रूघा के पुत्र–पुत्रियों यथा घीसा का 1/6 हिस्सा, काना का 1/6 हिस्सा, रामाराम का 1/6 हिस्सा, भचनाराम का 1/6 हिस्सा, दाखु का 1/6 हिस्सा व सायरी का 1/6 हिस्सा आता है एवं रूघा के पौत्र–पौत्रियों यथा भंवराई का 1/42 हिस्सा, अमरा का 1/42 हिस्सा, गजराई का 1/42 हिस्सा, नारायणी का 1/42, घेवर का 1/42 हिस्सा, सीता का 1/42 हिस्सा, ढगलाई का 1/42 हिस्सा आता है तथा रूघा के पडपौत्र–पडपौत्रियों यथा ओगड का 1/210 हिस्सा, रूपा का 1/210 हिस्सा, पृथ्वी का 1/210 हिस्सा, प्रताप का 1/210 हिस्सा व इन्द्रा का 1/210 हिस्सा आता है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा यह कथन किया गया कि उक्त खातेदारी आराजी वक्त मिसल बंदोबस्त रूघा पुत्र खीया के नाम दर्ज थीं। किन्तु लिपिकीय त्रुटिवश चौशाला खतौनी के समय उक्त खातेदारी आराजी में रूघा के स्थान पर उदा का नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त गलती का सुधार आज दिन तक किसी भी राजस्व कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया। उपरोक्त गलती का होने के बावजूद बिना सुधार करवाये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 11 मोती के पिता का नाम दर्ज कर दिया गया एवं दिनांक 05.01.1985 को जारी नामांतरण संख्या 568 की जांच करते समय जांच अधिकारी/भू–अभिलेख अधिकारी एवं हल्का पटवारी ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण आदि किसी को भी कोई सूचना नहीं दी एवं बिना जांच के ही प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 11 के पिता के कहे अनुसार केवल काना व घीसा के नाम नामांतरकरण संख्या 568 ग्राम पंचायत बिराटियाकलां द्वारा अवैध रूप से भर दिया गया। उपरोक्त गलत नामांतरकरण एवं वक्त मिसल बंदोबस्त के समय हुई लिपिकीय त्रुटि के आधार पर प्रतिवादीगण ने वादीगण को अपने कब्जेकाश्त आराजी से बेदखल कर उक्त वादग्रस्त आराजी को बेचान करने की चेतावनियां दे रहे हैं एवं मौके पर बंटी हुई भूमि की पाल्डोल को तोडकर भूमि को एकसमान समतल कर दिया है। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त कथन एकतरफा एवं असत्य है। चूंकि नामांतरण संख्या 568 कोई लिपिकीय भूल से पारित नहीं हुआ है। बल्कि अपीलांट के उत्तराधिकारी अधिकारों से पारित किया हुआ है तथा उक्त नामांतरण किस प्रकार विधिविरूद्ध है, उसका रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद में

Scanned with OKEN Scanner

कोई उल्लेख नहीं किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा नामांतरण संख्या 568 रूघा के स्थान पर उदा नाम दर्ज किया गया है, वो किसी भी विधि अनुसार इन्द्राज नहीं होते हुए एवं वादी के अभिवचनों में नहीं होते हुए भी स्वयं द्वारा पारित निर्णय में उल्लेखित कर दिया। जिससे यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा गौरतलब तथ्यों को सर्वथा नजरअंदाज कर उक्त निर्णय पारित किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण दिनांक 29.06.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अपीलांट व अन्य की तामिल हेतु सम्मन जारी किए गए। प्रकरण प्रतिवादी की तामील हेतु विचाराधीन था एवं विधि में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट को बिना जवाबदावा का अवसर दिये उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया। जबकि न्याय का यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि प्रभावित पक्षकार को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु विधि अनुसार अवसर प्रदान किया जाना न्यायसंगत था एवं सीपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत जो दस्तावेज वादी की ओर से प्रस्तुत किए जाते हैं उन दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार किये जाने हेतु न्यायोचित अवसर प्रदान किया जाना था। तत्पश्चात वादी की साक्ष्य कलमबद्ध की जानी थीं। जबकि प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु कोई सहमति प्रदान नहीं की गई, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट की ओर से वकील श्री सुरेश चौधरी व सोमाराम को नियुक्त किया गया एवं जवाबदावा के अवसर को विधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत बिना न्यायोचित अवसर दिये व जवाबदावा के अवसर को बंद किये जाने के पश्चात वादी व अन्य पक्षकारों की विधिवत साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही आदेश 10 सीपीसी के अंतर्गत साक्ष्य वादी ली जाना आवश्यक व न्यायसंगत था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया। प्रकरण में यह भी गौरतलब है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी वाद की कार्यवाही में जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने व दस्तावेजों को स्वीकार व अस्वीकार किये जाने के पश्चात विवाद्यक कायम किये जाने के पश्चात पक्षकारों को वांछित साक्ष्य रेकर्ड पर लिये जाने के पश्चात न्यायोचित निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मात्र सहमति के आधार पर निर्णय व डिक्री मात्र सीपीसी के प्रावधान 23 के अंतर्गत पारित किये जाने के प्रावधान है व सहमति की निर्णय व डिक्री मात्र आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के अंतर्गत ही मान्य है। कोई भी पक्षकार किसी अन्य प्रतिवादी के अधिकारों के विरूद्ध सहमति प्रदान करने हेतु सक्षम नहीं हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 23 नियम 3 सीपीसी की खुलेआम अवज्ञा की गई हैं। इसके अलावा प्रकरण में पेशी दिनांक 20.09.2013 को अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी अपीलांट के जवाबदावा हेतु नियत थी। उक्त दिनांक के पश्चात प्रतिवादी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आगामी पेशी हेतु कई बार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व रीडर से पेशी की मांग किए जाने पर उनके द्वारा कोई आगामी पेशी प्रदान नहीं की गई एवं न ही उक्त दिनांक को पक्षकारों की बहस सुनी गई। दिनांक 25.11.2013 तक उपरोक्त वाद की पत्रावली में न तो

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकारों को पेशी दी गई एवं न ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जानकारी प्राप्त करवाई गई। अंततः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में त्रुटियुक्त तथ्यों पर बिना गौर किए, अपीलांट को बिना जवाबदावा का अवसर प्रदान किए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत जाकर एवं रेस्पोडेन्ट व उसके अधिवक्ता से दुरभिसंधि करते हुए प्रतिवादी अपीलांट को न्याय से वंचित करते हुए उक्त विधिविरूद्ध जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जोकि पूर्णतया निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें। अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादी के जवाबदावे हेतु नियत होकर आगामी पेशी दिनांक 20.09.2013 नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 25.11.2013 तक न तो आगामी पेशी दी गई न ही बहस सुनी गई एवं न ही प्रतिवादीगण को अवगत कराया। दिनांक 10.12.2013 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के वाद में आगामी पेशी की जानकारी किए जाने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सभी प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को वेव करते हुए प्रथमदृष्टया विधिविरूद्ध पारित की गई हैं। अतः विलंबकाल को माफ करते हुए अपील अंदर म्याद फरमावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा धारा 5 प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस करने के निवेदन पर प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, अधीनस्थ एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र का निर्णयन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली दिनांक 12.09.2013 के अंकन अनुसार पत्रावली वास्ते जवाबदावा दिनांक 20.09.2013 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 20.09.2013 के अनुसार "वकील प्रतिवादी अनु/प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनु.। वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित है। अतः उनके द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। अतः बहस वादी की एकतरफा सुनी गई..... वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर नामांतरण संख्या 568 को निरस्त कर बाद जांच पुनः नामांतरण दर्ज कराने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करने के आदेश दिए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों।"

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट्स वादीगण द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वादपत्र प्रस्तुत किया था। वादपत्र में जवाबदावा लिया जाकर विवाद्यक कायम किए जाकर उभयपक्ष की साक्ष्य एवं जिरह उपरांत विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन करते हुए प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना होता है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण नामांतरण की अपील से संबंधित नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट

Scanned with OKEN Scanner

है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा समस्त विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का अतिलंघन करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना प्रकरण में अनावश्यक जल्दबाजी व तत्परता प्रकट करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2013 द्वारा नामांतरण संख्या 568 को निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामांतरण संख्या 568 के विरूद्ध अपील विचाराधीन नहीं थीं, बल्कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित वादपत्र विचाराधीन था। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों व विधिक प्रक्रियाओं से परे एवं विधिविरूद्ध होने से ऐसे निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील के संबंध में विलंब का विषय गौण होता है। अतः अपीलांट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल को माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. बिन्दु संख्या 2 के विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स वादीगण द्वारा अपीलांट के विरूद्ध धारा 88, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बेदखली एवं शाश्वत निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया था। वादपत्र में जवाबदावा लिया जाकर विवाद्यक कायम किए जाकर उभयपक्ष की साक्ष्य एवं जिरह उपरांत विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन करते हुए प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना होता है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 19.06.2013 को दर्ज हुआ। दिनांक 12.09.2013 को पत्रावली जवाबदावे के लिए आगामी दिनांक 20.09.2013 को नियत की गई। दिनांक 20.09.2013 को प्रकरण की आदेशिका में "वकील प्रतिवादी अनु/प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनु.। वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित है। अतः उनके द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। अतः बहस वादी की एकतरफा सुनी गई..... वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर नामांतरण संख्या 568 को निरस्त कर बाद जांच पुनः नामांतरण दर्ज कराने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करने के आदेश दिए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों।" के अंकन के साथ वादपत्र को अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री कर दिया गया। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धांत है कि वादपत्र प्रस्तुत होने के पश्चात जवाबदावा लिया जाकर विवाद्यक कायम किए जाकर उभयपक्ष की साक्ष्य एवं जिरह उपरांत विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन करते हुए प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया जाना होता है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्व न्यायालय मैन्युअल के विधिक उपबंधों का घोर उल्लंघन करते हुए विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा विवेक का इस्तेमाल किए बिना मनमाफिक रूप से प्रकरण को निर्णित व डिक्री कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरण अपील प्रस्तुत नहीं की थीं, बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व 183 के अंतर्गत वादपत्र प्रस्तुत किया था। लेकिन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नामांतरण संख्या 568 को निरस्त करते हुए प्रकरण को

Scanned with OKEN Scanner

निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर दिया। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का किसी भी दृष्टि से समर्थन एवं पुष्टि नहीं की जा सकती।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2013 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर के राजस्व वाद संख्या 80/2013 बअनवान रामाराम वगैरह बनाम अमरा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.09.2013 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता एवं राजस्व न्यायालय मैन्युअल में विहित विधिक प्रावधानों का समुचित पालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाबदावा का अवसर देकर, विवाद्यक विरचित किया जाकर, उभयपक्ष को साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन करते हुए प्रकरण में पुनः निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्ष को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 26.11.2024 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला ब्यावर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner